कार्यालय : प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय– बिजली नगर कॉलोनी,निष्ठा परिसर,
गोविंदपुरा,भोपाल 462023
सीआईएन –U40109MP2002SGC015119
फोन आफिस 0755–2602033–34 फैक्स – 2589821
वेबसाइट :www.mpcz.co.in

प्रकाश एवं विका

ISO 9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION

मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्रमांक/प्र.सं./म.क्षे./रिक्रू./ 2375 भोपाल, दिनांक :–28/05/2016

लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु विज्ञापन

01. म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) के वर्तमान में एवं आगामी दो वर्षो में रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति हेतु (कम्पनी की संविदा नीति के अनुसार) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी संयुक्त ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची पश्चात् शारीरिक दक्षता के आधार पर नियुक्ति हेतु म.प्र. राज्य के मूल निवासी इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

02. **लाईन परिचारक की संभावित रिक्तियाँ निम्नानुसार है :–**

(अ) लाईन परिचारक (नियमित) की आज की तिथि में रिक्तियाँ निरंक है।

(ब) लाईन परिचारक (संविदा) की आज की तिथि में रिक्तियाँ निम्न है।

क्रमांक	कम्पनी का नाम	संभावित पदों की संख्या				कुल पद
		UR	ST	SC	OBC	
01.	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	150	102	35	0	287

टीप :– 01. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, या उसे स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।

02. म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में नियमित/संविदा या अन्य कोई रिक्तियाँ जो कि अगले दो वर्ष में उत्पन्न होगी, को भरने के लिये कम्पनी द्वारा लाईन परिचारक पद के लिये इसी संयुक्त चयन परीक्षा की चयन सूची उपयोग की जावेगी।

03. **शैक्षणिक योग्यता :–**

क्रं.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता
01.	लाईन परिचारक (नियमित/संविदा)	(अ) म.प्र. शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड परीक्षा से उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (MPSCVT/NCVT) से विद्युत/लाईनमेन या वायरमेन में आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा (ब) म.प्र. शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त तारमिस्त्री (ओवरहेड) प्रमाण पत्र।

लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) पद हेतु वे उम्मीदवार पात्र होगें जिन्होने प्रकाशित 15 अगस्त 2016 तक ऊपर उल्लेखित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की हो।

04. आरक्षण :–

I. मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।

II. 40 प्रतिशत से अधिक अस्थिबाधित, निःशक्तजन, दिव्यांग उम्मीदवारों को म.प्र.राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार आरक्षण (लागू होने पर) दिया जावेगा।

III. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

05. आयु सीमा :–

I. आवेदक की आयु दिनांक 01.06.2016 को अधिकतम 23 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यकता/निःशक्तजनों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेंगी।

II. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनियों में संविदा/नियमित कार्यरत उम्मीदवार जो कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते है। वह मध्य प्रदेश की किसी भी विद्युत वितरण कम्पनी में लाईन परिचारक (संविदा)/परीक्षण सहायक (संविदा) के पद पर 05 वर्ष तक लगातार कार्य किया है। बिन्दु क्रमांक 5(1) के अतिरिक्त उन्हे 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्राप्त भी होगी।

06. पात्रता के संबंध में सामान्य शर्ते :–

I. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते है। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

II. ऐसे उम्मीदवार जिनके तृतीय या उसके बाद के बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, उन्हें आवेदन की पात्रता नहीं है। किन्तु प्रथम बच्चे के जन्म के बाद जुड़वा बच्चे हुए हो, उन्हें आवेदन की पात्रता होगी।

III. आवेदक को पूर्णतः स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होना आवश्यक है। **ध्यान रहें कि** विज्ञापित पद चतुर्थ श्रेणी का एवं मैदानी एवं श्रम साध्य प्रकृति का है।

07. ऑन लाईन आवेदन कैसे करें (कृपया निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े) :

(अ) उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज स्वप्रमाणितकरण कर स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।

I. आधार कार्ड पंजीकृत आधार नंबर सहित।

II. दसवीं की अंक सूची।

III. व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई. विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र।

अथवा

ओवर हेड परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दसवीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए)

IV. मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

V. जाति प्रमाण पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु)

VI. फोटो युक्त मूल पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पास बुक/पासपोर्ट इनमें से कोई एक) यदि पहचान पत्र उपलब्ध न हो तो शाला/आई.टी.आई. के प्राचार्य से सत्यापित आवेदक का छायाचित्र।

VII. स्थाई निवास का प्रमाण।

VIII. शासकीय/अर्द्ध शासकीय एंव निजी प्रायवेट लिमिटेड उपक्रम में कार्यरत अभ्यार्थी अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

IX. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।

(ब) आवेदन पत्र केवल एम.पी.ऑन लाईन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in द्वारा ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नही होंगे।

I. आवेदन पत्र केवल एम.पी.ऑन लाईन के अधिकृत Kiosk के माध्यम से भी किये जा सकते है। एम.पी.ऑन लाईन के अधिकृत कियोस्क की सूची के लिये https://www.mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list देखें।

II. आवेदन हेतु केवल एम.पी.ऑन लाईन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in हेतु लिंक म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की वेबसाइटस www.mpcz.co.in पर भी उपलब्ध है।

III. **(अ)** आवेदन फार्म दिनांक 03 जून 2016 से एम.पी.ऑन लाईन पर उपलब्ध होगें।

(ब) ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 जून 2016 रहेगी।

(स) अन्य संबंधित तिथियाँ एम.पी.ऑन लाईन पर उपलब्ध रहेगी।

08. आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार :–

I. आवेदन शुल्क रु.1500/– (रुपये पन्द्रह सौ मात्र) जो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क रु.1000/– (रुपये एक हजार मात्र) निर्धारित होगी।

II. आवेदन पत्र एम.पी.ऑन लाईन कियोस्क पर नगद भुगतान कर प्रेषित किये जा सकते है। चयनित उम्मीदवारों को आमंत्रण पत्र निकालने हेतु भी अलग से कियोस्क में कोई शुल्क अलग से नहीं देना है। कियोस्क पर छायाप्रति स्कैन किये जाने हेतु पोर्टल प्रभार के अतिरिक्त पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है।

III. आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार का संक्षिप्त विवरण :–

क्रं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
01.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/तलाकशूदा/विधवा/परित्यक्ता/निःशक्तजन के अभ्यर्थी	रु. 1,000/–
02.	अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	रु. 1,500/–

09. **चयन प्रक्रिया :**

I. लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) पद हेतु संयुक्त ऑन लाईन परीक्षा हिन्दी में आयोजित की जायेगी। तदोउपरांत चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा अनिवार्य रुप से उत्तीर्ण करना होगा।

II. उम्मीदवारों को संयुक्त ऑन लाईन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एम.पी.ऑन लाईन द्वारा नियम एवं शर्तो सहित प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in से डाउन लोड किये जा सकते है।

III. कम्पनी द्वारा अधिकृत नोडल ऐजेन्सी द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर उम्मीदवारों की उपस्थिति की Video CC TV Recording की जायेगी।

IV. संयुक्त ऑन लाईन परीक्षा एम.पी.ऑन लाईन द्वारा भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर स्थित विभिन्न केन्द्रो पर आयोजित की जावेगी।

V. ऑन लाईन परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका परीक्षा दिनांक से 03 से 05 दिवस के अन्दर एम.पी.ऑन लाईन की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। जिसे प्रकाशन तिथि से 03 दिवस के अन्दर चुनौती दी जा सकेगी।

VI. उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के संबंध यदि चुनौती दी जाती है। तो उम्मीदवारों को 600/– प्रति प्रश्न के हिसाब राशि जमा करने पर उसकी चुनौती स्वीकार की जावेगी तथा चुनौती वैध साबित होने पर जमा की गई राशि वापसी योग्य होगी।

VII. संयुक्त परीक्षा में अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये कट–ऑफ मार्क 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन के उम्मीदवारों के लिये 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित है।

VIII. म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरावर्ती कम्पनीयों में नियमित/संविदा पर कार्यरत लाईन परिचारक/परीक्षण सहायक उम्मीदवारों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 60 माह में 20 प्रतिशत बोनस अंक दिये जावेगें। जिसकी गणना पूर्ण माह के कार्यानुभव अवधि पर होगी। (अर्थात् 12 पूर्ण माह के अनुभव पर 04 प्रतिशत बोनस अंक)

IX. चयन हेतु प्रावीण्य (मैरिट) सूची अनुभव के अंको को जोड़ कर संयुक्त प्रावीण्य (मैरिट) सूची संधारित कर चयन प्रक्रिया की जावेगी।

X. **प्रवीण्य सूची :–**

एम.पी.ऑन लाईन द्वारा आयेजित संयुक्त परीक्षा एवं अनुभव बोनस अंको के आधार प्रावीण्य (मैरिट) सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी।

(अ) अनारक्षित/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

(ब) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पृथक्–पृथक् प्रावीण्य (मैरिट) सूची तैयार की जावेगी।

(स) **उम्मीदवारों को प्रावीण्य (मैरिट) सूची के अनुसार चयन होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा जिसका विवरण कंडिका क्रमांक 10 के अनुसार होगा :–**

10. **शारीरिक दक्षता परीक्षा :–**

I. **शारीरिक दक्षता परीक्षा जो निम्नानुसार होगी, को उत्तीर्ण करने पर ही उम्मीदवारों का चयन लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) के पद हेतु मान्य किया जावेगा।**

(अ) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से 25 किलो ग्राम वजन लेकर 02 मिनट में लेकर चढ़ना एवं उतरना।

(ब) कंडिका क्रमांक 10 (I) (अ) के अतिरिक्त टूल–किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 01 किलो मीटर पैदल चलना।

(स) उपरोक्त दोनो उपखण्ड (अ) एवं (ब) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

II. एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा नही ली जावेगी।

11. **प्रावीण्य (मैरिट) सूची की वैद्यता :–**

प्रावीण्य (मैरिट) सूची घोषित होने के दिनांक से दो वर्ष तक वैद्य रहेगी। जिससे वर्तमान में रिक्त एवं दो वर्षो में होने वाले रिक्त पद सम्मिलित होगें।

12. **प्रावीण्य (मैरिट) सूची का उपयोग :–**

(अ) **नियमित रिक्त पदों पूर्ति हेतु :–**

उपरोक्त वर्णित प्रावीण्य (मैरिट) सूची एवं शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रथमतः कम्पनी के रिक्त नियमित (Regular) पदों पर नियुक्ति निम्नानुसार की जावेगी।

I. अनारक्षित रिक्त पदों की पूर्ति समस्त श्रेणीयों को बिन्दु क्रमांक 09(X)(अ) संधारित की गई मैरिट सूची से की जावेगी।

II. अनारक्षित पदों की पूर्ति के उपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये बिन्दु क्रमांक 09(X)(ब) के अनुसार पृथक्–पृथक् संधारित प्रावीण्य (मैरिट) सूची से उस वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।

(ब) **संविदा के रिक्त पद की पूर्ति हेतु :–**

कम्पनी में रिक्त नियमित पदों की पूर्ति के पश्चात् शेष प्रावीण्य (मैरिट) सूची सह प्रतिक्षा सूची से संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण उम्मीदवारों को निम्नानुसार की जावेगी।

I. अनारक्षित रिक्त पदों की पूर्ति समस्त श्रेणीयों को समाहित कर संधारित की गई प्रावीण्य (मैरिट) सूची सह प्रतिक्षा सूची से की जावेगी।

II. अनारक्षित पदों की पूर्ति के उपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पृथक्–पृथक् संधारित प्रावीण्य (मैरिट) सूची सह प्रतिक्षा सूची से उस वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।

13. **लाईन परिचारक (संविदा/नियमित) के कम्पनी में भविष्य में आकस्मिक एवं अन्य कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु :–**

प्रावीण्य (मैरिट) सूची की वैद्यता समाप्त होने के पूर्व यदि भविष्य में आकस्मिक तथा अन्य कारणों से रिक्त पदों की पूर्ति भी कंडिका क्रमांक 12 के अनुसार की जावेगी।

14. **शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज :–**
(अभ्यर्थी को वांछित प्रमाण पत्र/अंक सूची की मूल प्रति एक छाया प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा)

I. आधार कार्ड पंजीकृत आधार नंबर सहित।

II. शैक्षणिक योग्यता (दसवीं की अंक सूची)

(अ) व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई. विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र।
अथवा

(ब) ओवर हेड परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।

III. मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

IV. जाति प्रमाण पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु)

V. फोटो युक्त मूल पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पास बुक/पासपोर्ट इनमें से कोई एक) यदि पहचान पत्र उपलब्ध न हो तो शाला/आई.टी.आई. के प्राचार्य से सत्यापित आवेदक का छायाचित्र।

VI. स्वंय प्रमाणीकरण का चरित्र सत्यापन के संबंध में प्रमाण पत्र।

VII. दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो।

VIII. स्थाई निवास का प्रमाण।

IX. शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी प्रायवेट लिमिटेड उपक्रम में कार्यरत अभ्यार्थी अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

X. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।

XI. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता (लागू होने पर) प्रमाण पत्र।

15. **नियमित पद हेतु सेवा सह–जमानत अनुबंध :–**

(अ) लाईन परिचारक प्रशिक्षु (नियमित) को निर्धारित प्रारुप में रु. 500/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारुप में 03 वर्ष के लिये सेवा सह–जमानत अनुबंध करना होगा।

(ब) लाईन परिचारक (संविदा) को निर्धारित प्रारुप में रु. 500/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर कम्पनी की संविदा नीति के अनुसार संविदा सह जमानत अनुबंध निर्धारित प्रारुप में 03 वर्ष के लिये करना होगा।

16. **कार्य की प्रकृत्ति :–**

लाईन परिचारक (संविदा) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य जैसे– वितरण में विद्युत लाईन के निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदनें से सामान की ढुलाई एवं लाईन तैयार करने एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य।

17. **पारिश्रमिक :–**

पद नाम (नियमित/संविदा)	प्रशिक्षु भत्ता रु.	पारिश्रमिक/वेतन रु.
नियमित	11,500/–	5,200–20,200 + ग्रेड पे 1800
संविदा	11,500/–	11,500/–

18. सामान्य शर्ते :–

I. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अद्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते है। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

II. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऑनलाईन परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाये जाने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय (साधारण) श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया, आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता के आधार पर, मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा। इस हेतु आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

III. चयन/नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में ही मान्य होगें। कम्पनी की सेवाएं म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नही आती।

IV. ऐसे उम्मीदवार जिनके तृतीय या उसके बाद के बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होगें।

V. चयन के समय अथवा भविष्य में यह पाया गया है, कि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा गलत जानकारी के आधार पर हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार का चयन/नियुक्ति/अनुबंध किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त कर यथा कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

19. शारीरिक दक्षता हेतु चयन :–

शारीरिक परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। चयनित उम्मीदवार अपना आमंत्रण पत्र एम.पी.ऑन लाईन के कियोस्क या कम्पनी की वेबसाइट में उपलब्ध लिंक से डाउनलोड कर सकते है,

20. आचरण के संबंध मे सामान्य शर्ते :–

प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं लाईन परिचारक (संविदा) पर अनुबंधित होने पर उम्मीदवार को आचरण संबंधी जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।

21. पदस्थापना एवं स्थानांतरण :–

चयनित उम्मीदवारों को केवल कम्पनी के क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थापना/स्थानांतरण/नियुक्त कर सकेगी।

22. चिकित्सीय परीक्षण :–

उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण मण्डल चिकित्सालय अथवा संबंधित कम्पनी के मुख्यालय पर किया जावेगा। संविदा आधार पर अनुबंध चिकित्सालय परीक्षण में सफल होने पर ही मान्य होगा। यदि उम्मीदवार चिकित्सालय परीक्षण में असफल पाया जाता है, तो उम्मीदवार का चयन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त होगा।

23. **<u>प्रशिक्षण अवधि में आचरण</u> :—**

(अ) लाईन परिचारक प्रशिक्षु (नियमित)/लाईन परिचारक (संविदा) में अनुबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण काल एवं कार्य के दौरान कम्पनी द्वारा जो लाईन एवं कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण/गोपनीय जानकारी/सूचना आदि मिलती है, अथवा दी जाती है, तदाशय की गोपनीयता, अनुबंध अवधि अथवा अनुबंध समाप्ति के बाद भी भंग नही करेंगा।

(ब) लाईन परिचारक प्रशिक्षु (नियमित)/लाईन परिचारक (संविदा) में अनुबंधित व्यक्ति तदाशय के संबंध में निम्न कथन पर अपनी सहमति देगा :—

I. गोपनीय सूचना का उपयोग केवल अपने प्राधिकृत अधिकारी एवं अपने सहयोगी के लिये करेगा, अन्य किसी भी कार्य हेतु नही।

II. गोपनीय जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाये रखेगा।

III. गोपनीय अभिलेख एवं जानकारी संबंधित कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कम्पनी/संस्थान को लौटायेगा, अथवा प्रकरण में जैसा आवश्यक हो, पृथक् रखेगा।

IV. प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् यदि सक्षम अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है, कि अनुबंधित लाईन परिचारक (नियमित/संविदा) का कार्यकलाप कम्पनी हित में नही है, अथवा उसकी कार्य क्षमता आशा के अनुरुप नही है, तो संबंधित कम्पनी द्वारा बिना कारण बताएं एक माह की सूचना अथवा एक माह की सूचना के स्थान पर एक माह का पारिश्रमिक अनुबंधित व्यक्ति को भुगतान कर उसकी संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(स) प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा बिना कारण बतायें एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का पारिश्रमिक जैसा भी हो दूसरे पक्ष को भुगतान कर सेवा समाप्त कर सकता है। अनुबंधित व्यक्ति द्वारा सेवा समाप्त करने की दशा में लागू अनुबंध राशि भी देय होगी।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.)